न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

संख्या–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
57/25	212 RTA	पंचावद	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
प्रेमबिहारी वगै0	बनाम	ओमप्रकाश, रामकिशन–वगै0

वकील :– श्रीनारायणलाल चौरसिया **आदेश पत्रक** वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27.06.2025		

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 4.0150 है0 ग्राम पंचावद तहसील छबड़ा में रामजानकी विराजमान मन्दिर के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि जर्ये पुजारी प्रेमबिहारी पुत्र देवीलाल पंचायत मीणा समाज पंचावद के कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित भूमि को पंचायत मीणा समाज प्रत्येक वर्ष समाज के व्यक्ति को मुनाफा काश्त से जुपाते रहते है भूमि से होने वाली आय से मन्दिर निर्माण रंग रोगन एवं तेल भोज सेवा में खर्च करते चले आ रहे है प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2023 में मीणा समाज की पंचायत द्वारा उक्त विवादित आराजी 200000/– में एक वर्ष के लिए अप्रार्थीगण को जुपाई थी परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ना तो रूपये जमा कराये है और न ही कब्जा छोड़ा गया। वर्ष 2025 में अन्य व्यक्ति के लिए 300000/– में जुपाने का निर्णय हुआ परन्तु अप्रार्थीगण कब्जा नही छोड़ रहा है और ना ही दूसरे को कब्जा सम्भला रहा है इसलिए दावा 188,183 आर0टी0एक्ट एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थीगण भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग नही करे। इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर है कि भूमि मन्दिर रामजानकी के खातेदारी की है जिस पर अप्रार्थीगण अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है तथा दोनो पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है प्रकरण की इस परिस्थितियों को देखतें हुए कोई अनावश्यक विवाद पैदा ना हो। गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उक्त विवादित आराजी को आज दिनांक की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया जाता है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामील के सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रक्रिया रजिस्टार डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र व रसीद भी पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से पेश किया हुआ मान कर एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करें तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक निरस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई। है में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 15.07.2025 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक	
15.7.25	आज पीठासीन अधिकारी ... कार्य में ... में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत ... दिनांक 26.8.25 को पेश हो रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)
26.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०/ अप्रार्थीगण की ओर से श्री राकेश कुमार लोधी एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया। पत्रावली के जारी स्थगन आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23.9.25 को पेश हो।
23.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०/ जवाब पेश नहीं हुआ। समय चाहते हैं। पूर्व के जारी स्थगन आदेश यथावत है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11.11.25 को पेश हो।
11.11.25	आज पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23.12.25 को पेश हो । रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप० नहीं है। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद पुकार के न्याया० में उप० नहीं है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।